//कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम म0प्र0//

क्रमांक 4679/नाजीर/2019 रतलाम, दिनांक 10 –12–2019

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व विभाग रतलाम के अंतर्गत निम्नांकित वाहनों की खुली बोली जहाँ है, के आधार पर विक्रय की जाना है:–

क्रं.	कार्यालय का नाम	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	आफसेट मूल्य (रू. में)
1	कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम	एम.पी. 02 आर.डी. 4304	महिन्द्रा	2003	95,000/–
2	कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम	एम.पी. 02 आर.डी. 4310	महिन्द्रा	2007	95,000/–

बोलीदार को अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) रूपये 10,000/– (रू. दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक रतलाम पर भुगतान योग्य, कलेक्टर रतलाम के नाम नीलामी के पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा वही व्यक्ति बोली में भाग ले सकेगा। बोली स्वीकृत नहीं होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य होगी। वाहन निविदा हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क प्रति वाहन रू. 500/– (रू. पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 23.12.2019 समय दोपहर 2 बजे तक प्रभारी अधिकारी नाजिर शाखा कार्यालय कलेक्टर रतलाम के नवीन भवन से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा दिनांक 23.12.2019 समय सुबह 11.00 बजे तक कलेक्टर सभाकक्ष में स्वीकार (ग्राहय) की जावेगी तथा दिनांक 24-12.2019. को ही दोपहर 03.00 बजे कमेटी द्वारा निविदाएँ खोली जावेगी।

2– बोलीदार को वाहन जैसी हालत में एवं जहां किस स्थान पर है, वहां से उठाना होगा।

3– बोलीदार की बोली स्वीकार होने के पश्चात उन्हें वाहन का प्रस्तावित मूल्य का 25 प्रतिशत राशि उसी समय जमा कराना, अनिवार्य होगा तथा शेष राशि एक मुश्त 07 दिवस के अंदर जमा कर वाहन उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपके द्वारा जमा संपूर्ण राशि शासनहित में राजसात कर ली जावेगी।

4– बोलीदार द्वारा लगाई गई बोली को कलेक्टर रतलाम को किसी भी दशा में अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा तथा इस संबंध में वाद किसी भी न्यायालय में ग्राहय नही होगा।

5– उपरोक्त उल्लेखित वाहनों के संबंधित कार्यालय प्रमुख से जानकारी प्राप्त कर उसकी स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में वाहनों का अवलोकन कर सकते है।

6– निर्धारित समय सीमा के बाद निविदा मान्य नहीं होगी।

7– वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नही है और ना ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की है।

8– सफल निविदादाता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना आदि समस्त कार्यवाही स्वतः ही वहन करना होगी। वाहनों के नामांतरण करवाने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

9– निविदा अलग–अलग वाहनों के लिए अलग–अलग लिफाफों में देनी होगी, जिस पर वाहन मेक एवं रजिस्ट्रेशन नंबर प्रेषक का नाम व पता स्पष्ट लिफाफे पर लिखना अनिवार्य होगा।

10– निविदा दाता की कोई भी शर्ते मान्य नही होगी।

11– प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर निविदादाता की अमानत राशि रखी जाकर, शेष की राशि वापस की जावेगी। निविदा की समस्त शर्तो प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम पर बंधनकारी होगी।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 4680/नाजीर/2019 रतलाम, दिनांक 10 –12–2019

1– आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग की ओर सूचनार्थ।

2– उपसंचालक (विज्ञापन) जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के 03 दैनिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित (निःशुल्क) करने हेतु (द्वारा जनसंपर्क अधिकारी जिला रतलाम)

3– कलेक्टर, जिला उज्जैन/आगर/धार/मंदसौर/नीमच/शाजापुर/देवास/राजगढ़/सीहोर।

4– कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम नवीन भवन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

5– मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम/मंदसौर/उज्जैन/धार/आगर/शाजापुर/नीमच देवास/राजगढ़/सीहोर

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड रतलाम शहर/रतलाम ग्रामीण/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10/12

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

Scanned by CamScanner